छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर–492 002

क्रमांक एफ 7–19 / 2015 / 12 नया रायपुर, दिनांक 30 NOV 2015

प्रति

कलेक्टर (समस्त)
जिला ————————,
छत्तीसगढ़।

विषयः–जिला खनिज संस्थान न्यास में अभिदाय की जाने वाली राशि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलने बाबत्।

संदर्भः–खान और खनिज (जिला खनिज संस्थान में अभिदाय) नियम, 2015.

---:0:---

खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित जिलो में जिला खनिज संस्थान न्यास की स्थापना किये जाने हेतु भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में धारा 9बी का प्रावधान दिनांक 12 जनवरी, 2015 से प्रवृत्त किये गये हैं।

2/ खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9बी की उपधारा (5) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार, खान मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 17.9.2015 द्वारा खान और खनिज (जिला खनिज संस्थान में अभिदाय) नियम, 2015 बनाये हैं। ये नियम 12 जनवरी, 2015 से प्रवृत्त मान्य किये गये हैं। जिला खनिज संस्थान में अभिदाय की जाने वाली रकम के संबंध में नियम 2 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :–

"नियम 2 – जिला खनिज संस्थान में अभिदाय की जाने वाली रकम – प्रत्येक खनन पट्टा अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह खनन पट्टा का धारक, स्वामिस्व के अतिरिक्त, उस जिले, जिसमें खनन संक्रियाएं की जाती है, के जिला खनिज संस्थान में निम्नलिखित दर पर रकम का संदाय करेगा –

(क)12 जनवरी 2015 को अथवा उसके पश्चात प्रदान किया गया, यथा स्थिति, खनन पट्टा अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह खनन पट्टा के संबंध में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनयम, 1957 (1957 का 67) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की दूसरी अनुसूची के संबंध में संदाय किए गए स्वामिस्व का दस प्रतिशत; और

(ख) 12 जनवरी, 2015 से पहले प्रदान किये गये खनन पट्टों के संबंध में उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के संबंध में संदाय किये गये स्वामिस्व का तीस प्रतिशत।"

3/ भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 20ए के अधिकारों का उपयोग करते हुए जारी किये गये आदेश क्रमांक 16/7/2015/ एम–चार(पार्ट), दिनांक 16.9.2015 द्वारा समस्त संबंधित राज्यों को डिस्ट्रीक्ट मिनरल फाउंडेशन के दिनांक 12 जनवरी, 2015 से अस्तित्व में आना मान लिये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैं :–

"NOW THEREFORE, the Central Government in exercise of the powers conferred under section 20A of the MMDR Act, 1957, in the national interest hereby directss the concerned State Government that the notification establishing the District Mineral Foundations shall state that such District Mineral Foundations shall be deemed to have come into existence with effect from the 12th day of January, 2015."

4/ विभाग द्वारा तैयार किये जा रहे छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में जिला खनिज संस्थान की शासी परिषद (Governing Council) और प्रबंधकारिणी समिति (Managing Committee) में जिले के कलेक्टर को पदेन अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पदेन सदस्य सचिव नामित किया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है।

01/12 2015 11:54 FAX 07712510928 DS MRD MANTRALAYA 003

5/ अतएव उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के प्रकाश में प्रत्येक जिले में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जिला कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से निम्नानुसार दो पृथक–पृथक खाते शीघ्र खोले जाए :–

क्रमांक	बैंक खाते का विवरण	जमा की जाने वाली राशि का विवरण
1	2	3
1	(जिले का नाम) जिला खनिज संस्थान अंशदान निधि खाता (The name of district) District Mineral foundation **Contribution Fund**	इस खाते में मुख्य खनिज एवं गौण खनिज के पट्टाधारकों द्वारा अभिदाय की जाने वाली राशि जमा की जाएगी।
2	(जिले का नाम) जिला खनिज संस्थान न्यास निधि खाता (The name of district) District Mineral foundation **Trust Fund**	व्यवस्थापक द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास को उपलब्ध कराई गयी राशि इस खाते में जमा की जाएगी।

(1) अंशदान निधि खाता उदाहरण :– रायपुर जिला खनिज संस्थान अंशदान निधि खाता
Raipur District Mineral foundation **Contribution Fund**

(2) न्यास निधि खाता उदाहरण :– रायपुर जिला खनिज संस्थान न्यास निधि खाता
Raipur District Mineral foundation **Trust Fund**

6/ जिले में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक में जिला खनिज संस्थान अंशदान निधि खाता खोलेने के उपरांत जिले के मुख्य खनिज के समस्त खनिज रियायतधारियों (खनन पट्टाधारक अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह खनन पट्टाधारक) को उक्त खाते में उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित भारत सरकार द्वारा मुख्य खनिज के लिए निर्धारित दर से राशि जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। खनिज रियायतधारियों द्वारा निर्धारित दर से राशि जमा किये जाने की मासिक समीक्षा की जाए।

7/ कलेक्टर द्वारा प्रत्येक माह में जिला खनिज संस्थान अंशदान निधि खाते में जमा की गयी राशि का विवरण आगामी माह की दस तारीख तक संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ को उपलब्ध कराया जावे।

8/ उपरोक्त पैरा–5 अनुसार खोले जाने वाले खातों में संस्थान की निधि के अतिरिक्त अन्य कोई निधि जमा नहीं किया जायेगा।

9/ वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक 2015–12–00098, दिनांक 26.11.2015 द्वारा सहमति प्राप्त है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(इफ्फत आरा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

2 DEC 2015

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 7–19/2015 /12
प्रतिलिपि:–

नया रायपुर, दिनांक 30 NOV 2015

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक डी, द्वितीय तल, नया रायपुर।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जिला पंचायत ———————— छत्तीसगढ़।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

Office of the Director of Geology & Mining
Receipt No. 1338
Date 2 DEC 2015
इन्द्रावती नया रायपुर छत्तीसगढ़

01/12 2015 11:55 FAX 07712510928 DS MRD MANTRALAYA 004